

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 11/2020

तारीख रजू 07.01.2020

गोकल पुत्र उकार जाति धोबी निवासी अक्षयगढ तह.खण्डार।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलों।

----- रेस्पों

निर्णय

दिनांक...26/02/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलों द्वारा मिसल संख्या 82/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.10.19 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम अक्षयगढ के आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 01 बीघा किस्म गैर मुमकिन तलाई पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जिन्स सोयाबीन व जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पों की ओर से राजकीय पेटोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया तथा अपीलान्त को नोटिस की विधि सम्मत तामील न होते हुये भी उसे उचित तामील मानकर अपीलान्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 01 बीघा पर अपीलान्त ने संवत् 2076 में कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये बिना ही रिपोर्ट कर दी तथा अपीलान्त को हल्का पटवारी द्वारा पाश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया है जबकि अपीलार्थी ने कभी उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं किया। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पाश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुये अपीलान्त को सजा के दण्ड से दण्डित किया है किन्तु

1c  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर



पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त को तामील होने पर अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 09.12.19 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर